



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन भाग, जयपुर-303001

दस्तावेज 0141-2374644

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2021/1383

दिनांक:- 7-12-2021

जोगल मैनेजर / मुख्य प्रबन्धक,

राजस्थान परिवहन निगम,

आगार।

विषय:- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लर्क गर्ती हेतु आई.बी.पी.एस. के माध्यम से आयोजित आई. बी.पी. एस (क्लर्क) प्रारम्भिक गर्ती परीक्षा 2021 जो दिनांक 12,18 एवं 19 दिसम्बर 2021 को आयोजित होनी है, में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा-58 /2021/ 1147 दिनांक 16.4.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021-2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(5) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 1 एवं 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहगति के क्रम में दिनांक 12, 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 को आयोजित आई. बी.पी.एस. (क्लर्क) प्रारम्भिक परीक्षा 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी है।

इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. आई.बी.पी.एस. (क्लर्क) प्रारम्भिक परीक्षा 2021 जो दिनांक 12, 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 को आयोजित की जानी है, में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक आने एवं परीक्षा पश्चात् केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के एक दिन पश्चात तक देय होगी।
2. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
3. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
4. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकट लेकर यात्रा करनी होगी।
5. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकट बनाया जा सकें।
6. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी राथ में रखना अनिवार्य होगा।
7. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2021/1383

दिनांक:- 7-12-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक/संयुक्त महाप्रबन्धक (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
6. प्रभारी नियन्त्रण कक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क/संचालन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. आदेश पत्रावली।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक-(यातायात)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001

दस्तावेज 0141-2374644

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2021/1350

दिनांक:- 7-12-2021

जोनल मैनेजर / मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
आगार।

विषय:- राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी) संविधा परीक्षा-2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा-58/2021/ 1147 दिनांक 16.4.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021-2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(5) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 1 एवं 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहमति के क्रम में दिनांक 18.12.2021 को आयोजित होने वाली "सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी) संविधा परीक्षा-2021" की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी है।

इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली "सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी) संविधा परीक्षा-2021" दिनांक 18.12.2021 को अजमेर जिला मुख्यालय पर आयोजित की जानी है। जिसमें सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक आने एवं परीक्षा पश्चात् केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के एक दिन पश्चात् तक देय होगी।
2. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
3. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
4. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकिट लेकर यात्रा करनी होगी।
5. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकिट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकिट बनाया जा सकें।
6. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा।
7. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

(लोकेश कुमार सहल)

कार्यकारी निदेशक(यातायात)

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2021/1350

दिनांक:- 7-12-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक/संयुक्त महाप्रबन्धक (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रमारी नियन्त्रण कक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसम्पर्क/संचालन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. आदेश पत्रावली।

(अनीता मंडसीवाल)

उप महाप्रबन्धक(यातायात)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001

दूरभाष 0141-2374644

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2021/1383-B

दिनांक:- 6-12-2021

जोनल मैनेजर /मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
आगार।

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा "संगणक सीधी भर्ती परीक्षा-2021" जो दिनांक 19.12.2021 (रविवार) को आयोजित की जानी है, की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।
संदर्भ:-माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा-58/2021/ 1147 दिनांक 16.4.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021-2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(5) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 1 एवं 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहमति के क्रम में दिनांक 19.12.2021 (रविवार) को आयोजित होने वाली "संगणक सीधी भर्ती परीक्षा-2021" की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी है।

इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा "संगणक सीधी भर्ती परीक्षा-2021" दिनांक 19.12.2021 को आयोजित की जानी है। जिसमें सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक आने एवं परीक्षा पश्चात् केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के एक दिन पश्चात तक देय होगी।
2. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
3. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
4. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकट लेकर यात्रा करनी होगी।
5. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकट बनाया जा सके।
6. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा।
7. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

(14)

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक(यातायात)

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2021/1383 दिनांक:- 6-12-2021
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक/संयुक्त महाप्रबन्धक (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाइट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
6. प्रभारी नियन्त्रण कक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. कार्यकारी प्रबन्धक(जनसम्पर्क/संचालन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. आदेश पत्रावली।

[Handwritten signature]

(अनीता बडसीवाल)
उप महाप्रबन्धक(यातायात)

[Handwritten signature]

54-1906
06/12/21

I-T 377
7/12/21



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय परिवहन मार्ग, जयपुर-303001 दूरभाष 0141-2374644
क्रमांक-एफ-4/मु/याता/लेखा (121)/2021/1383

दिनांक:- 6/12/21

जोनल मैनेजर / मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
आगार।

विषय:- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा "जूनियर इंजीनियर-1 (इलेक्ट्रीकल) सीधी भर्ती परीक्षा-2021" जो दिनांक 11.12.2021 को आयोजित की जानी है, की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ-4/मु/याता/लेखा-58/2021/1147 दिनांक 16.4.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021-2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(5) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 1 एवं 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/दुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहमति के क्रम में दिनांक 11.12.2021 को आयोजित होने वाली "जूनियर इंजीनियर-1 (इलेक्ट्रीकल) सीधी भर्ती परीक्षा-2021" की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी है।

इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा "जूनियर इंजीनियर-1 (इलेक्ट्रीकल) सीधी भर्ती परीक्षा-2021" दिनांक 11.12.2021 को दो पारियों में (प्रथम पारी 09.30 बजे से 11.30 बजे एवं द्वितीय पारी दोपहर 02.00 बजे से 04.00 बजे तक) आयोजित की जानी है। जिसमें सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक आने एवं परीक्षा पश्चात् केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के एक दिन पश्चात तक देय होगी।
2. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
3. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
4. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकट लेकर यात्रा करनी होगी।
5. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकट बनाया जा सकें।
6. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा।
7. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

St-1105
06/12/21

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक(यातायात)

क्रमांक:-एफ-4/मु/याता/लेखा (121)/2021/1383 दिनांक:- 6/12/21
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक/संयुक्त महाप्रबन्धक (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाइट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रमारी नियन्त्रण कक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसम्पर्क/संचालन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. आदेश पत्रावली।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक(यातायात)